

2019  
00519

28/9/2024

रतनलाल



लीलाकरी

नि

मैं रतनलाल

एवं लीलाकरी को  
पहचानता हूँ। इसके  
पश्चात् वे वादगी  
एवं लीलाकरी को  
पहचानता हूँ।

(चौधरी राजाराम)  
उपस्थित

पञ्जली वारी संख्या 2 रतनलाल विला  
हेमा घोषी एवं वारी संख्या 3 श्रीमती लीला  
विला हेमा घोषी द्वारा जर्बाना पर आवत  
वार विझे कराये जाने - उल्लूत काले पर  
सिगरे से तलाब करने पर बेश हूँ। वारी  
रतनलाल एवं लीला की पहचान उनके  
अभिपक्षित श्री चारमल गरी ने की। वारी  
2 व 3 द्वारा उल्लूत जर्बाना पर शामिल  
मिलल फिर जेव। वारी गण 2, 3 ने विवेक  
किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के  
अब कोई विवाद नहीं रहा है अतः वाद को अगे  
नहीं चलाने की शुभ निमत से विझे करना चाहते  
हैं। अतः जर्बाना पर लीला पर आवत जतवा  
वार विझे का आदेश परमावे। पञ्जली एवं आदेश  
उक्त प्रा.पर एवं पूर्वागुणा निमत रि. 21 को पेश है।



श्रीमान सुधीर विष्नाई  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपवाक्य अधिकारी  
चिर्तामार्ग (उ.प.)

शमिलाल vs कलश चन्द  
 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
 वार 193/2019 (2019/00519)

नम्बर व तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुकम की तामील  
 में जारी हुए

999  
 2021

पत्रावली अखिवक्ता वारीगण द्वारा प्रार्थना  
 पर वाकत वार विज्ञे करिष्यते प्रस्तुत करने  
 तथा वारी संख्या 1 शमिलाल तथा वारी संख्या  
 4 भेरी द्वारा प्रार्थना पर प्रस्तुत करने  
 पर विगहे से तलब करने पर वेश हुरी  
 वारी शमिलाल एवं भेरी की पहचान उनके  
 अखिवक्ता श्री चारमल गरी के की वारी 1 व  
 4 ने प्रार्थना पर प्रस्तुत का निवेदन किया  
 कि पश्चात्त के मध्य शरीनामा हो जाने  
 से अब कोई विवाद नहीं रहा है, अतः वार को  
 आगे नहीं चलाने की शुभ निमत से विज्ञे  
 करना चाहते हैं। अखिवक्ता वारीगण ने  
 निवेदन किया कि वारीगण एवं प्रविवारीगण  
 के मध्य शरीनामा हो चुका है, वारीगण एक  
 प्रकार को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा  
 प्रकार से चारों वारीगण ने शरीनामा होने  
 के प्रार्थना पर प्रस्तुत का रिफ है अतः  
 वार विज्ञे करने का आदेश प्रदात भावे  
 वारी 1 व 4 एवं अखिवक्ता वारीगण द्वारा  
 प्रस्तुत प्रार्थना पर शमिलाल भिलाल किसे  
 जोग हमने पत्रावली का अखिलोका का  
 अखिवक्ता वारीगण के निवेदन पर अलग  
 किया वारी सं. 2 व 3 द्वारा दिनांक 28/9/2021  
 तथा वारी सं. 1 व 4 द्वारा आज वार विज्ञे हेतु  
 प्रार्थना पर प्रस्तुत किए गए। वारीगण की  
 पहचान उनके अखिवक्ता श्री चारमल गरी द्वारा  
 की गई। अतः चूंकि वारीगण इस (रेज) पर  
 वार पर से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाह कर  
 वार विज्ञे करना चाहते हैं। अतः वारीगण के  
 प्रार्थना पर स्वीकार किए जाकर वार वारीगण  
 विज्ञे में शरीगण किया जाते हैं। पत्रावली को  
 शमार होकर नम्बर से कम हो।

शमिलाल

~~शमिलाल~~

~~भेरी~~

मैं वारी शमिलाल  
 व भेरी के को  
 पहचाना है  
 श्री चारमल गरी

अब वार प्रकार  
 को कोई कार्यवाही  
 नहीं करना चाहते  
 अतः प्रकार इसी  
 स्टेट पर विज्ञे से  
 शरीगण करने का  
 आदेश प्रदान की  
 श्री चारमल गरी  
 28/9/2021  
 C-चौधरी मन्मथ  
 25/9/2021

श्री चारमल गरी  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चित्तौड़गढ़ (राज.)